संख्या- **85/2017/2244/33-3-2017-46/2015**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक: 28 सितम्बर,**2017**

विषय: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों की रिबोरिंग/रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

वी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक **09.08.2017** के समय मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर हैण्डपम्पों की मरम्मत व रिबोरिंग के कार्यों में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है। उक्त के क्रम में उचित पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों/परिषदीय विद्यालयों में स्थापित इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों के रिबोरिंग/मरम्मत हेतु ग्राम पंचायतवार, ब्लाकवार व जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समय-सारिणी नियत कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। इस कार्य में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

2- उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास अनुभाग-**5,** उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या-**1134/38-5-56** सम/**2010** दिनांक **29.06.2011** में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इण्डिया मार्का-॥ हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं परसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, उक्त

http://shasnadeshup.nic.in

शासनादेश के बिन्दु संख्या- V।।। में यह निर्देश दिये गये थे कि अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं **(**उत्तर प्रदेश जल निगम**/**यू**0**पी**0**स्टेट एग्रो लि**0)** द्वारा उनको आवंटित विकास खण्डों में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की धनराशि से करायी जायेगी।

3- ग्राम्य विकास अनुभाग**-5** के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक **29.06.2011** के बिन्दु संख्या-V।।। को संशोधित करते हुए मुख्य सचिव**,** उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों**/**जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को जारी शासनादेश संख्या**-434/38-5-2017-21**एम**0/2011** दिनांक **08.05.2017** में यह व्यवस्था दी गयी की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य **14**वें वित्त आयोग**/**राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायतें हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य स्वंय अथवा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं उत्तर प्रदेश जल निगम**/**यू**0**पी**0**स्टेट एग्रो लि**0** के माध्यम से करा सकती है। दोनों ही विकल्पों में रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों में गुणवत्ता अवश्यमेव सुनिश्चित की जायेगी।

4- मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के उक्त आदेश दिनांक **08.05.2017** के क्रम में पंचायतीराज विभाग द्वारा शासनादेश संख्या**-51/2017/1211/ 33-3-2017-46/ 2015,** दिनांक**-19** जून**, 2017** जो समस्त जिलाधिकारी**,** मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी**,** उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है**,** के द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि इण्डिया मार्क-।। हण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य **14**वें वित्त आयोग**/**राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा**,** इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा**:-**

1- हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुए हैण्डपम्प रिबोरिंग के कार्यो को सर्वप्रथम संतृप्त किया जायेगा।

2- रिबोरिंग के योग्य हैण्डपम्प के तकनीकी अनुश्रवण का कार्य खण्ड स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कर्मी यथा-जे**0**ई**0**एम**0**आई**0** एंव जे**0**ई**0**आर**0**ई**0**डी**0,** मण्डी परिषद**,**

http://shasnadeshup.nic.in

जिला पंचायत के उपलब्ध तकनीकी कर्मियों अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3- विकास खण्ड स्तर से अवर अभियन्ता का तकनीकी प्रशिक्षण जल निगम के तकनीकी एवं मानक प्रशिक्षक के द्वारा कराया जायेगा तथा उक्त पर आने वाले व्यय का वहन **14**वें वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि जो खण्ड स्तर पर अनुमन्य है**,** उसमें से किया जायेगा।

4- हैण्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शत प्रतिशत किया जायेगा।

5- ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प रिबोरिंग सम्बन्धित समस्त कार्यों को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मलित किया जाएगा तथा प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए प्लान प्लस**/**एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आई**0**डी**0** विकसित करते हुए प्रिया**-**साफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम**-**एसेट पर रिबोर किये गये हैण्डपम्पों की फोटो एवं **Geo-Tagging (**अक्षांश**/**देशान्तर**)** अनिवार्यत**:** अंकित की जायेगी।

6- ग्राम सभा में रिबोर किये जाने वाले समस्त हैण्डपम्पों की रिबोरिंग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत "जिलास्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति" द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

5- इसी क्रम में शासनादेश संख्या**-62/2017/1799/33-3-2017-46/2015,** दिनांक**-14** अगस्त**, 2017** द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थापित इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य आगामी **03** माह में शतप्रतिशत पूर्ण करा लिया जाय। समस्त कार्य पूर्ण होने तक जनपदों द्वारा साप्ताहिक प्रगति पंचायतीराज विभाग के स्तर से संचालित ऑन**-**लाईन एम**0**पी**0**आर**0** पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। चूँकि ग्राम पंचयतों में **14**वें वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से होने वाले समस्त कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मलित किया जाना आवश्यक है। अत**:** यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपरोक्तानुसार हैण्डपम्पों के रिबोर**/**मरम्मत का कार्य

http://shasnadeshup.nic.in

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में सम्मलित है अन्यथा की स्थिति में अनुपूरक कार्ययोजना बनाकर कार्यों का अनिवार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों तथा परिषदीय विद्यालयों में स्थापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की रिबोरिंग/मरम्मत के कार्य में अपेक्षित रूचि लेकर उसे गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उचित होगा कि इस हेतु ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाय, तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समय सारिणी बना ली जाए, जिसमें माह सितम्बर, **2017** तक **25%,** माह अक्टूबर, **2017** तक **50%** तथा माह नवम्बर, **2017** तक **100%** विद्यालयों में हैण्डपम्पों के रिबोर तथा मरम्मत का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा जाय। उक्त कार्य की रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध साप्ताहिक प्रगति प्रारूप पर नियमित रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी **)**

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

3- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।

6- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ।

7- आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

http://shasnadeshup.nic.in

10-समस्त उप निदेशक **(**पंचायत**)** उ**0**प्र**0**।

11-समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उ**0**प्र**0**।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह **)**

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in